न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

वाद संख्या:– 67/प्रा0पत्र/2019

1. धर्मराज आयु 55 वर्ष आ0 छगन लाल जाति मीणा निवासी उमर तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी (राज0)।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :– 136 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी अधिवक्ता – श्री शम्भूदयाल शर्मा
अप्रार्थी – पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :– 16/04/2021

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 2407/1790 रकबा 3 बीघा, खसरा संख्या 2409/1791 रकबा 5 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा वाके ग्राम उमर पटवार मण्डल उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है जो जमाबंदी संवत 2072 से 2075 की खतोनी संख्या 167 में प्रार्थी के नाम दर्ज है। कृषि भूमि खसरा संख्या 2407/1790 रकबा 3 बीघा पर प्रार्थी शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि पर कुआ लगा रखा है तथा कृषि कार्य के दौरान आराम करने व कृषि उपज रखने हेतु प्रार्थी ने उक्त भूमि पर क्वाटर बना रखी है तथा विधुत कनेक्शन करवा रखा है। भूमि पर प्रार्थी ने पत्थरों का कोट लगा रखा है। वर्तमान में प्रार्थी ने उक्त भूमि पर गन्ना की फसल लगा रखी है। प्रार्थी ने अपनी खाते की भूमि खसरा संख्या 2409/1791 रकबा 5 बीघा की तरमीम करने वास्ते दिनांक 15.05.2019 को पटवारी हल्का व कानूनगों साहब से सम्पर्क किया और पटवारी कानूनगों प्रार्थी की उक्त भूमि की तरमीम करने वास्ते मौके पर गये तो प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 2407/1790 रकबा 3 बीघा की तरमीम मौके पर कब्जे के अनुसार नही होने की जानकारी मिली है। प्रार्थी की उक्त 3 बीघा भूमि की रिकार्ड में कर रखी तरमीम के स्थान पर प्रार्थी का कब्जा नही है और प्रार्थी के कब्जे के स्थान पर उक्त भूमि की तरमीम नही की गई है जबकि तरमीम का आधार मुख्य रूप से कब्जा होता है। प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 2407/1790 रकबा 3 बीघा की राजस्व लट्ठा नक्शा में तरमीम खसरा संख्या 1790/1 के रूप में की हुई है जो गलत है। खसरा संख्या 1790/1 के रूप में की हुई तरमीम के स्थान पर प्रार्थी का कोई कब्जा नही है। प्रार्थी ने उक्त तरमीम करने वास्ते न तो पूर्व में

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बून्दी)

कभी कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है और न ही प्रार्थी को उक्त भूमि की तरमीम की कोई जानकारी है। प्रार्थी के कब्जे से भिन्न स्थान पर प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 2407/1790 की खसरा संख्या 1790/1 के रूप में तरमीम की हुई है जो अवैध व निरस्तनीय है। उक्त तरमीम किस तारीख को किस पटवारी हल्का द्वारा की गई है और किस कानूनगों द्वारा उक्त तरमीम पुख्ता की गई है इसका भी नक्शें में कोई अंकन नही है। ऐसी स्थिति में कब्जे से भिन्न स्थान पर की गई तरमीम निरस्त की जाकर मौके पर कब्जे के अनुसार प्रार्थी की भूमि की तरमीम किया जाना न्याायोचित एवं आवश्यक है। खसरा संख्या 2407/1790 की खसरा संख्या 1790/1 के रूप में नक्शे में तरमीम करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया है और प्रार्थी की गैर मौजूदगी में प्रार्थी के सुनवाई के अधिकार का हनन करते हुये प्रार्थी की भूमि की गलत तरमीम कर दी गई है जबकि खसरा संख्या 1790 में प्रार्थी द्वारा लगा रखे कुये व भूमि पर लगा रखे पत्थर के कोट के अन्दर की भूमि के स्थान पर प्रार्थी की भूमि की तरमीम की जानी चाहिये जो नही किये जाने से उक्त अवैध तरमीम को निरस्त कर नये सिरे से प्रार्थी के कब्जे के अनुसार तरमीम किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थी को दिनांक 15.05.2019 को प्रार्थी की भूमि की तरमीम गलत होने की जानकारी वर्तमान पटवारी कानूनगों द्वारा देने पर प्रार्थी ने तहसीलदार साहब हिण्डोली से उक्त गलत तरमीम को निरस्त कर कब्जे के अनुसार तरमीम करने का निवेदन किया लेकिन तहसीलदार साहब ने दिनांक 03.06.2019 को तरमीम को निरस्त करने का अधिकार उनकों नही होने से सक्षम न्यायालय में कार्यवाही प्रस्तुत करने की हिदायत देने पर प्रार्थी श्रीमान के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी की भूमि ग्राम उमर में श्रीमान के न्यायक्षेत्र में स्थित होने से और लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त गलत तरमीम (करेक्शन ऑफ इन्टरीज) के तहत श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्यायशुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 2407/1790 की खसरा संख्या 1790/1 के रूप में ग्राम उमर के राजस्व नक्शा में की हुई तरमीम को निरस्त किया जाकर खसरा संख्या 2407/1790 की तरमीम मौके पर कब्जे के अनुसार करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जबाव पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 लगायत 7 अस्वीकार है। खसरा संख्या 2407/1790 रकबा 2 बीघा धर्मराज पि0 छगनलाल मीणा के नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी से जाहिर है कि उक्त खसरा रकबा भी नक्शा लठे में खसरा संख्या 1790/1 की तरमीम है जिसका नवीन खसरा नम्बर 2407/1790 हो गया है। भूमि में खातेदार का कब्जा है। जिस स्थान पर तरमीम न होकर अन्य स्थान पर है। अतः कब्जे के आधार पर खसरा संख्या (नवीन) 2407/1790 भी किया जाना उचित होगा।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी के खाते की भूमि खसरा संख्या 2407/1790 रकबा 3 बीघा की राजस्व नक्शा लट्ठा में तरमीम खसरा संख्या 1790/1 के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

रूप में की हुई है, जो कि गलत है। प्रार्थी का उक्त तरमीम की हुई भूमि पर कब्जा काश्त नही होकर अन्य स्थान पर है जिसे कब्जे अनुसार तरमीम कर दुरूस्त किया जाना उचित है व वर्तमान नक्शें की हुई तरमीम खसरा नम्बर 1790/1 को निरस्त किया जावें।

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को व जवाब सरकार/तहसीलदार हिण्डोली से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार हिण्डोली से तरमीम दुरूस्ती हेतु प्राप्त जांच रिपोर्ट के व जवाब सरकार अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि 2407/1790 ग्राम उमर जिसका पुराना नम्बर 1790/1 है, की तरमीम प्रार्थी के कब्जे के स्थान पर नही होकर अन्य स्थान पर कर दी गई है। वस्तुतः भूमियों की तरमीम खातेदार के कब्जे व काश्त के अनुरूप ही की जानी चाहिये परन्तु यहां प्रार्थी की खातेदारी/कब्जे की भूमि पर अन्य खसरा नम्बर की तरमीम कर दी गई, जिसे निरस्त कर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 2407/1790 पुराना नम्बर 1790/1 वाके ग्राम उमर पटवार मण्डल उमर की वर्तमान नक्शे में की गई तरमीम को निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2407/1790 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम उमर की तरमीम उसके कब्जे अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (करौली)
हिण्डोली